[जुलाई 22, 2004 से] **विदेशी भ्रष्ट प्रवृत्ति कानून के**

रिश्वतखोरी विरोधी तथा बही खाता व अभिलेख प्रावधान

प्रकाशित ल. 105-366 (नवम्बर 10, 1998) से अद्यतन

संयुक्त राज्य संहिता

शीर्षक 15. व्यापार और वाणिज्य

अध्याय 2B--प्रतिभूति विनिमय

§ 78m. आवधिक एवं अन्य रिपोर्ट

(a) प्रतिभूति जारीकर्ता द्वारा रिपोर्ट; विषय-सूची

इस शीर्षक की धारा 78l के अनुसरण में पंजीकृत प्रतिभूति का प्रत्येक जारीकर्ता जो, ऐसे नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में जिसे आयोग निवेशकों की समुचित सुरक्षा के लिए तथा प्रतिभूति में निष्पक्ष संव्यवहार का निश्चय करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त के रूप में निर्धारित कर सकता है, आयोग के पास दाखिल करेगा --

(1) ऐसी सूचनाएं एवं दस्तावेज़ (और उनकी ऐसी प्रतियां) जिनकी आयोग इस शीर्षक की धारा 78l के अनुसरण में दाखिल आवेदन या पंजीकरण विवरण के साथ शामिल करने या दाखिल करने के लिए अपेक्षित सूचनाओं एवं दस्तावेज़ों को तर्कसंगत रूप से अद्यतन रखने के लिए अपेक्षा करेगा, सिवाय इसके कि आयोग 1 जुलाई 1962 से पूर्व पूर्णत: निष्पादित किसी महत्वपूर्ण संविदा को दाखिल करने की अपेक्षा नहीं कर सकता।

(2) ऐसी वार्षिक जानकारी (और उनकी ऐसी प्रतियां), यदि आयोग के नियमों एवं विनियमों द्वारा अपेक्षित हो तो स्वतंत्र लोक लेखाकारों द्वारा प्रमाणित, तथा ऐसी तिमाही रिपोर्टें (तथा उनकी ऐसी प्रतियां) जिन्हें आयोग विहित कर सकता है।

किसी राष्ट्रीय प्रतिभूति एक्सचेंज में पंजीकृत प्रतिभूति का प्रत्येक जारीकर्ता, एक्सचेंज के पास ऐसी सूचनाओं, दस्तावेज़ों, तथा रिपोर्टों की एक नकल मूल प्रति भी दाखिल करेगा।

(b) रिपोर्ट का प्रपत्र; बहियां, अभिलेख, तथा आंतरिक लेखांकन; निर्देश

* * *

(2) ऐसा प्रत्येक जारीकर्ता जिसने इस शीर्षक की धारा 78l के अनुसरण में प्रतिभूतियों की किसी श्रेणी का पंजीकरण कराया है तथा ऐसा प्रत्येक जारीकर्ता जिससे इस शीर्षक की धारा 78o(d) के अनुसरण में रिपोर्टें दाखिल करने की अपेक्षा है--

(A) बही, रिकॉर्ड, एवं लेखा तैयार करेगा एवं रखेगा जो तर्कसंगत विस्तार के साथ जारीकर्ता की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं निपटान को सटीकता एवं निष्पक्षता से प्रतिबिंबित करेंगे।

(B) आंतरिक लेखा नियंत्रण की प्रणाली का आविष्कार करेगा एवं अनुरक्षित करेगा जो तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो कि--

(i) लेनदेन प्रबंधन के सामान्य या विशिष्ट प्राधिकार के अनुसरण में किए जाते हैं;

(ii) (I) लेखांकन के सामान्यत: स्वीकृत सिद्धांतों या ऐसे विवरणों पर लागू किसी अन्य मापदंड के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति, और (II) परिसंपत्तियों के लिए जवाबदेही बनाए रखने की आवश्यकता के अनुसार लेनदेन दर्ज किए जाते हैं;

(iii) परिसंपत्तियों तक पहुंच की अनुमति केवल प्रबंधन के सामान्य या विशिष्ट प्राधिकार के अनुसरण में दी जाती है; और

(iv) परिसंपत्तियों के लिए दर्ज जवाबदेही की तुलना तर्कसंगत अंतराल पर विद्यमान परिसंपत्तियों से की जाती है तथा किसी अंतर के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(3) (A) संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों के संबंध में इस उपधारा के अनुच्छेद (2) के अंतर्गत ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार किसी संघीय विभाग या एजेंसी के प्रमुख के साथ मिलकर काम करने वाले किसी व्यक्ति पर कोई शुल्क या बाध्यता नहीं थोपी जाएगी यदि किसी विभाग या एजेंसी के ऐसे प्रमुख के साथ मिलकर ऐसा कार्य ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अध्यक्षीय प्राधिकार के अनुसरण में ऐसे विभाग या एजेंसी के प्रमुख के विशिष्ट, लिखित निर्देश पर किया गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी प्रत्येक निर्देश विशिष्ट तथ्य एवं परिस्थितियां प्रतिपादित करेगा जिसके संबंध में इस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू किया जाना है। जब तक लिखित रूप में नवीकृत न हो, ऐसा प्रत्येक निर्देश जारी होने की तिथि के एक वर्ष बाद अँतकाल (कालातीत) हो जाएगा।

(B) संयुक्त राज्य के किसी संघीय विभाग या एजेंसी का प्रत्येक प्रमुख जो इस अनुच्छेद के अनुसरण में इस तरह का निर्देश जारी करता है, ऐसे सभी निर्देशों की पूरी फाइल अनुरक्षित करेगा तथा हर साल 1 अक्टूबर को प्रतिनिधि सभा की आसूचना संबंधी स्थायी प्रवर समिति तथा सेनेट की आसूचना संबंधी प्रवर समिति को पिछले वर्ष के दौरान किसी समय लागू ऐसे निर्देशों के अंतर्गत शामिल मामलों का सारांश भेजेगा।

(4) इस उपधारा के अनुच्छेद (5) में जैसा प्रावधान है उसे छोड़कर इस उपधारा के अनुच्छेद (2) की अपेक्षाओं का पालन न करने के लिए कोई आपराधिक बाध्यता नहीं थोपी जाएगी।

(5) कोई भी व्यक्ति आंतरिक लेखा नियंत्रण की प्रणाली का जानबूझकर उल्लंघन नहीं करेगा या जानबूझकर उसे लागू करने में असफल नहीं होगा या जानबूझकर अनुच्छेद (2) में वर्णित किसी बही, रिकॉर्ड, या लेखा में गोलमाल नहीं करेगा।

(6) जहां कोई जारीकर्ता जिसने इस शीर्षक की धारा 78l के अनुसरण में प्रतिभूतियों की किसी श्रेणी का पंजीकरण कराया है या ऐसा जारीकर्ता जिससे इस शीर्षक की धारा 78o(d) के अनुसरण में रिपोर्टें दाखिल करने की अपेक्षा है, किसी घरेलू या विदेशी फर्म के संबंध में 50 प्रतिशत या कम मताधिकार रखता है, अनुच्छेद (2) के प्रावधान केवल यह अपेक्षा करते हैं कि जारीकर्ता ऐसे घरेलू या विदेशी फर्म से अनुच्छेद (2) से संगत आंतरिक लेखांकन नियंत्रण की प्रणाली तैयार कराने एवं अनुरक्षित कराने के लिए जारीकर्ता की परिस्थितियों में तर्कसंगत सीमा तक अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए नेकनीयती से आगे बढ़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में घरेलू या विदेशी फर्म में जारीकर्ता के स्वामित्व की सापेक्षिक मात्रा तथा जिस देश में ऐसी फर्म स्थित है उस देश के व्यावसायिक प्रचालनों को अभिशासित करने वाले कानून एवं प्रथाएं शामिल हैं। जो जारीकर्ता ऐसे प्रभाव का प्रयोग करने के लिए नेकनीयती प्रयासों का प्रदर्शन करता है उसके बारे मे निर्णायक रूप से यह मान लिया जाएगा कि उसने अनुच्छेद (2) की अपेक्षाओं का पालन किया है।

(7) इस उपधारा के अनुच्छेद (2) के प्रयोजनार्थ, “तर्कसंगत आश्वासन” एवं “तर्कसंगत विवरण” शब्द का अभिप्राय विस्तार के ऐसे स्तर एवं आश्वासन की ऐसी मात्रा से है, जिससे अपने स्वयं के कार्यों के संचालन में विवेकपूर्ण अधिकारी संतुष्ट होंगे।

§78dd-1 [प्रतिभूति और विनिमय कानून 1934 की धारा 30A]

जारीकर्ताओं द्वारा निषिद्ध विदेशी व्यापार की प्रथाएं

(a) निषेध

यदि किसी जारीकर्ता ने इस शीर्षक की धारा 78l के अनुसरण में प्रतिभूतियों की किसी श्रेणी का पंजीकरण कराया है या उससे इस शीर्षक की धारा 78o(d) के अंतर्गत रिपोर्टें दाखिल करने की अपेक्षा है, तो उसके लिए, या ऐसे जारीकर्ता के किसी अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, या एजेंट अथवा ऐसे जारीकर्ता की ओर से काम करने वाले उसके किसी शेरधारक के लिए किसी पेशकश, भुगतान, भुगतान करने के वादे, या किसी धन के भुगतान, या प्रस्ताव, उपहार, देने के वादे के प्राधिकार या कोई मूल्यवान वस्तु देने के प्राधिकार को आगे बढ़ाने में भ्रष्ट ढंग से डाक या अंतर्राज्यीय वाणिज्य के किसी साधन या माध्यम का प्रयोग करना गैर कानूनी होगा--

(1) निम्नलिखित प्रयोजन से कोई भी विदेशी सरकारी पदाधिकारी--

(A) (i) उसके आधिकारिक हैसियत से ऐसे विदेशी अधिकारी के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करना, (ii) ऐसे अधिकारी के वैध कर्तव्य के उल्लंघन में कोई कार्य करने या करने से छोड़ने के लिए ऐसे विदेशी अधिकारी को प्रेरित करना, या (iii) कोई अनुचित लाभ प्राप्त करना; या

(B) ऐसी सरकार या सहायक संस्था के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए विदेशी सरकार या उसकी सहायक संस्था के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए ऐसे विदेशी अधिकारी को प्रेरित करना,

कारोबार प्राप्त करने या बचाए रखने, या किसी व्यक्ति को कारोबार प्रापत (हस्तांतरित) करने या बनाये रखने में ऐसे जारीकर्ता की सहायता करने के लिए;

(2) निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ कोई विदेशी राजनीतिक दल या उसका अधिकारी या विदेशी राजनीतिक पद के लिए कोई उम्मीदवार--

(A) (i) उसकी या उसकी आधिकारिक हैसियत से ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करना, (ii) ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार के वैध कर्तव्य के उल्लंघन में

(B) कोई कार्य करने या करने से छोड़ने के लिए ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार को प्रेरित करना, या (iii) कोई अनुचित लाभ प्राप्त करना; या

(B) ऐसी सरकार या सहायक संस्था के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए विदेशी सरकार या उसकी सहायक संस्था के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए ऐसा दल, पदाधिकारी, या उम्मीदवार को प्रेरित करना,

कारोबार प्राप्त करने या बचाए रखने, या किसी व्यक्ति को कारोबार प्रापत (हस्तांतरित) करने या बनाये रखने में ऐसे जारीकर्ता की सहायता करने के लिए; या

(3) कोई व्यक्ति, यह जानते हुए कि किसी विदेशी अधिकारी को, किसी विदेशी राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी को, या विदेशी राजनीतिक पद के किसी उम्मीदवार को निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ प्रत्यक्ष या

परोक्ष रूप से ऐसे सभी धन या मूल्यवान वस्तु या उसके भाग की पेशकश की जाएगी, दिया जाएगा, या वादा किया जाएगा--

(A) (i) उसकी या उसकी आधिकारिक हैसियत से ऐसे विदेशी अधिकारी, ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करना, (ii) ऐसे विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, दल पदाधिकारी, या उम्मीदवार के वैध कर्तव्य के उल्लंघन में कोई कार्य करने या करने से छोड़ने के लिए, या (iii) कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए; या

(B) ऐसी सरकार या सहायक संस्था के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए विदेशी सरकार या उसकी सहायक संस्था के साथ अपने या उसके प्रभाव का प्रयोग करने के लिए ऐसे विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, दल पदाधिकारी, या उम्मीदवार को प्रेरित करना,

कारोबार प्राप्त करने या बचाए रखने, या किसी व्यक्ति को कारोबार प्रापत (हस्तांतरित) करने या बनाये रखने में ऐसे जारीकर्ता की सहायता करने के लिए।

(b) नैमित्तिक सरकारी कार्य के लिए अपवाद

इस धारा की उपधाराएं (a) और (g) किसी विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, या दल पदाधिकारी को ऐसे भुगतान में कोई सुविधा प्रदान करने या गति तेज करने पर लागू नहीं होगी जिसका प्रयोजन किसी विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, या दल पदाधिकारी द्वारा नैमित्तिक सरकारी कार्य के निष्पादन की गति तेज करना या प्राप्त करना हो।

(c) स्वीकार सूचक बचाव

इस धारा की उपधारा (a) या (g) के अंतर्गत कार्यों का यह स्वीकार सूचक बचाव होगा कि--

(1) भुगतान, उपहार, प्रस्ताव, या किसी मूल्यवान वस्तु का वादा जिसे किया गया, विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, दल पदाधिकारी, या उम्मीदवार के देश के लिखित कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत वैध था; या

(2) भुगतान, उपहार, प्रस्ताव, या किसी मूल्यवान वस्तु का वादा जिसे किया गया, किसी विदेशी अधिकारी, दल, दल पदाधिकारी, या उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से किया गया तर्कसंगत एवं वास्तविक व्यय था, जैसे यात्रा एवं आवास व्यय और सीधे निम्नलिखित से संबंधित था--
(A) उत्पादों या सेवाओं का संवर्धन, प्रदर्शन या स्पष्टीकरण; या

(B) किसी विदेशी सरकार या उसकी एजेंसी के साथ किसी संविदा का निष्पादन या कार्यान्वयन।

(d) अटर्नी जनरल द्वारा दिशानिर्देश

23 अगस्त 1988 के बाद अधिकतम एक वर्ष तक, आयोग, वाणिज्य सचिव, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि, राज्य सचिव, तथा कोष सचिव से परामर्श करने के बाद और सार्वजनिक नोटिस एवं टिप्पणी प्रक्रिया के माध्यम से सभी इच्छुक व्यक्तियों के विचार प्राप्त करने के बाद अटर्नी जनरल निर्धारित करेगा कि किस हद तक इस धारा के अनुपालन को बढ़ाया जाएगा तथा इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के और स्पष्टीकरण द्वारा कारोबारी समुदाय की सहायता की जाएगी तथा वह ऐसे निर्धारण के आधार पर तथा आवश्यक एवं उपयुक्त सीमा तक जारी कर सकता है--

(1) सामान्य प्रकार की निर्यात बिक्री व्यवस्थाओं एवं व्यावसायिक संविदाओं से संबंधित विशिष्ट प्रकार के आचार का वर्णन करने वाले दिशानिर्देश, जिसे न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति के प्रयोजनार्थ अटर्नी जनरल निर्धारित करता है, इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुरूप होंगे; और

(2) सामान्य एहतियाती प्रक्रियाएं जिनका जारीकर्ता स्वैच्छिक आधार पर इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के संबंध में न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति से अपने आचार की पुष्टि के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

अटर्नी जनरल शीर्षक 5 के अध्याय 5 के उप अध्याय II के प्रावधानों के अनुसरण में पिछले वाक्य में उल्लिखित दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाएं जारी करेगा तथा ये दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाएं उस शीर्षक के अध्याय 7 के प्रावधानों के अधीन होंगी।

(e) अटर्नी जनरल की राय

(1) संयुक्त राज्य के उपयुक्त विभागों एवं एजेंसियों से परामर्श करने के बाद तथा सार्वजनिक नोटिस एवं टिप्पणी प्रक्रिया के माध्यम से सभी इच्छुक व्यक्तियों के विचार प्राप्त करने के बाद अटर्नी जनरल इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के संबंध में न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति से अपने आचार के अनुपालन के संबंध में जारीकर्ताओं द्वारा विशिष्ट पूछताछ का जवाब देने के लिए प्रक्रिया स्थापित करेगा। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर अटर्नी जनरल उस अनुरोध के जवाब में राय जारी करेगा। राय में यह उल्लेख होगा कि न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति के प्रयोजनार्थ कतिपय विनिर्दिष्ट संदर्शी आचार इस धारा के

(2) पूर्ववर्ती प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या नहीं। अन्य विनिर्दिष्ट संदर्शी आचार के संबंध में राय के लिए अटर्नी जनरल के पास अतिरिक्त अनुरोध दाखिल किए जा सकते हैं, जो पिछले अनुरोधों में विनिर्दिष्ट आचार के कार्य क्षेत्र से बाहर है। इस धारा के लागू प्रावधानों के अंतर्गत लाए गए किसी कार्य में, एक खंडनीय परिकल्पना यह होगी कि आचार, जो किसी जारीकर्ता द्वारा अनुरोध में विनिर्दिष्ट है तथा जिसके लिए अटर्नी जनरल ने राय जारी की है कि ऐसा आचार न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति के अनुरूप है, इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुपालन में है। साक्ष्य की प्रबलता द्वारा इस प्रकार की परिकल्पना का खंडन किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ परिकल्पना पर विचार करते समय, न्यायालय सभी संगत कारकों पर ध्यान देगा, जिसमें यह शामिल है लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है कि क्या अटर्नी जनरल को प्रस्तुत सूचना सटीक एवं पूर्ण थी और क्या यह अटर्नी जनरल द्वारा प्राप्त किसी अनुरोध में विनिर्दिष्ट आचार के कार्यक्षेत्र के अंदर थी। अटर्नी जनरल शीर्षक 5 के अध्याय 5 के उप अध्यायों II के प्रावधानों के अनुसरण में इस अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया स्थापित करेगा तथा वह प्रक्रिया उस शीर्षक के अध्याय 7 के प्रावधानों के अधीन होगी।

(2) कोई दस्तावेज़ या अन्य सामग्री जिसे अनुच्छेद (1) के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किसी जारीकर्ता द्वारा अनुरोध के सिलसिले में संयुक्त राज्य के न्याय विभाग या किसी अन्य विभाग या एजेंसी को प्रदान किया जाता है, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, या उसमें तैयार किया जाता है, को शीर्षक 5 की धारा 552 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त होगी तथा जारीकर्ता की सहमति से छोड़कर, उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, भले ही अटर्नी जनरल ऐसे अनुरोध का जवाब देता है या जारीकर्ता जवाब प्राप्त होने से पूर्व ऐसा अनुरोध वापस ले लेता है।

(3) अनुच्छेद (1) के अंतर्गत अटर्नी जनरल से अनुरोध करने वाला कोई जारीकर्ता ऐसे अनुरोध के जवाब में अटर्नी जनरल द्वारा राय जारी किए जाने से पूर्व ऐसे अनुरोध को वापस ले सकता है। इस प्रकार वापस लिए गए किसी अनुरोध का कोई प्रभाव या प्रवर्तन नहीं होगा।

(4) अधिकतम संभव व्यवहार्य सीमा तक अटर्नी जनरल संभावित निर्यातकों एवं छोटे व्यावसायिकों को, जो ऐसे प्रावधानों से संबंधित मुद्दों पर विशिष्ट परामर्श प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के संबंध में न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति के संबंध में समय पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

ऐसे मार्गदर्शन, इस खंड के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बारे में न्याय विभाग की मौजूदा प्रवर्तन नीति विशिष्ट संभावित आचार की पुष्टि संबंधी अनुच्छेद (1) के अंतर्गत अनुरोधों के प्रति अनुक्रिया तथा अनुपालन जिम्मेंदारियों की सामान्य स्पष्टीकरणों एवं इस खंड के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अंतर्गत संभावित दायित्वों तक सीमित होंगे।

(f) परिभाषाएं

इस भाग के प्रयोजन से:

(1) A) "विदेशी अधिकारी" शब्द का अर्थ किसी विदेशी सरकार या किसी विभाग, एजेंसी, या सहायक संस्था, या सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई अधिकारी, या कोई व्यक्ति है जो ऐसी किसी सरकार या विभाग, एजेंसी, या या सहायक संस्था या ऐसी किसी सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए या उसकी ओर से आधिकारिक क्षमता में काम कर रहा है।

(B) उपअनुच्छेद (A) के प्रयोजन से, "सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन" शब्द का अर्थ है--

(i) कोई संगठन जो अन्तरराष्ट्रीय संगठन मुक्ति अधिनियम (22 U.S.C. § 288) की धारा 1 के अनुसरण में कार्यपालक आदेश द्वारा निर्दिष्ट है; या

(ii) कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इस खंड के प्रयोजनार्थ कार्यपालक आदेश के जरिए अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट है, संघीय रजिस्टर में ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख को प्रभावी हैं।

(2) (A) आचार, किसी परिस्थिति, या किसी परिणाम के संबंध में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा "ज्ञाता" है, यदि—

(i) ऐसे व्यक्ति को जानकारी है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे आचरण में लिप्त है, यह कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, या यह कि काफी हद तक ऐसे परिणाम का प्राप्त होना

(ii) ऐसे व्यक्ति को दृढ़ विश्वास है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं या यह कि ऐसे काफी हद तक परिणाम का प्राप्त होना निश्चित है।

(B) जब किसी अपराध के लिए विशिष्ट परिस्थिति के मौजूद होने के ज्ञान की जरूरत होती है, तो ऐसा ज्ञान स्थापित होता है यदि व्यक्ति ऐसी परिस्थिति की मौजूदगी की उच्च संभावना से अवगत हो, जब तक कि व्यक्ति वास्तव में यह विश्वास न करे कि ऐसी परिस्थिति मौजूद नहीं है।

(3) (A) "नैमित्तिक सरकारी कार्रवाई" का मतलब केवल एक कार्रवाई से है जो निम्नलिखित में विदेशी अधिकारी द्वारा साधारणतया एवं सामान्यतया निष्पादित की जाती हैं--

(i) विदेशी राष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति के अर्ह होने के लिए परमिट, लाइसेंस या अन्य सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त करना;

(ii) सरकारी कागजात जैसे वीज़ा एवं कार्यादेश की कार्रवाई;

(iii) पुलिस संरक्षण, डाक प्रेषण एवं प्रदान करना, या संविदा के निष्पादन से संबद्ध निरीक्षण या देश के बाहर माल के संक्रमण से संबद्ध निरीक्षण की समय-सूची निर्धारित करना;

(iv) फोन सेवा, बिजली एवं पानी की आपूर्ति प्रदान करना, माल चढ़ाना एवं उतारना या नाशवान उत्पादों या पणों को विकृत होने से बचाना; अथवा

(v) समान प्रकृति के कार्य करना।

(B) “नैमित्तिक सरकारी कार्यवाही” शब्द में किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी दल विशेष को नया कारोबार देने या उसके साथ कारोबार जारी रखने संबंधी कोई निर्णय शामिल नहीं है या किसी दल को नया कारोबार देने या उसके साथ कारोबार जारी रखने का निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किसी सरकारी अधिकारी द्वारा निर्णय को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया में की गयी कोई कार्रवाई शामिल नहीं है।

(g) वैकल्पिक क्षेत्राधिकार

(1) यह संयुक्त राज्य, या किसी राज्य, भूभाग, कब्जे, या संयुक्त राज्य अथवा उसके राजनीतिक उपप्रभाग के राष्ट्रमण्डल के कानून के तहत संगठित किसी जारीकर्ता के लिए और जिसके पास इस शीर्षक की धारा 12 के अनुसरण में पंजीकृत प्रतिभूतियों का एक वर्ग है या जिससे इस शीर्षक की धारा 15(d) के अधीन रिपोर्ट दायर करना अपेक्षित है, या संयुक्त राज्य के किसी व्यक्ति के लिए जो कोई अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, या ऐसे जारीकर्ता या उसकी ओर से काम करने वाले उसके किसी शेरधारक के किसी एजेंट के लिए, किसी पेशकश, भुगतान, भुगतान के वादे, या किसी धन, या पेशकश, उपहार, देने के वादे, या इस उपधारा (a) के अनुच्छेद (1), (2) और (3) में निर्धारित किसी व्यक्ति या संगठन को संयुक्त राज्य के बाहर काम को आगे बढ़ाने के लिए बेईमानीपूर्वक कोई मूल्यवान वस्तु देने का प्राधिकार गैर-कानूनी होगा, भले ही ऐसा जारीकर्ता या अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, एजेंट या शेरधारक ऐसी पेशकश, उपहार, भुगतान, वादे या प्राधिकार को आगे बढ़ाने के लिए डाक का अथवा अंतर्राज्यीय वाणिज्य के किसी साधन या अभिकरणों का प्रयोग करता हो।

(2) जैसा कि इस उपधारा में प्रयोग किया गया है, “संयुक्त राज्य का व्यक्ति” शब्द का अर्थ संयुक्त राज्य कोई नागरिक (जैसा कि आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम 101 (8 U.S.C. § 1101) में परिभाषित है) या संयुक्त राज्य, या किसी राज्य, भूभाग, कब्जे, या संयुक्त राज्य के राष्ट्रमण्डल अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग के कानून के अधीन संगठित कोई कारपोरेशन, साझेदारी, संघ, संयुक्त स्टॉक कंपनी, कारोबारी न्यास, गैर-निगमित संगठन, या एकमात्र स्वामी है।

§ 78dd-2. घरेलू प्रतिष्ठानों द्वारा निषिद्ध विदेशी व्यापार प्रथाएं

(a) निषेध

इस शीर्षक की धारा 78dd-1 के अधीन किसी जारीकर्ता को छोड़कर, किसी घरेलू प्रतिष्ठान, या किसी अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, या ऐसे घरेलू प्रतिष्ठान के एजेंट या ऐसे घरेलू प्रतिष्ठान की ओर से काम करने वाले किसी शेरधारक के लिए बेईमानीपूर्वक निम्नलिखित को किसी पेशकश, भुगतान, भुगतान के वादे, या किसी धन, या पेशकश, उपहार, देने के वादे, या कोई मूल्यवान वस्तु देने के प्राधिकार को आगे बढ़ाने के लिए डाक का अथवा अंतर्राज्यीय वाणिज्य के किसी साधन या अभिकरणों का प्रयोग करना गैर-कानूनी होगा—

(1) निम्नलिखित प्रयोजन से कोई भी विदेशी सरकारी पदाधिकारी ईस भाग के प्रयोजन से:

(A) (i) उसकी आधिकारिक हैसियत से ऐसे विदेशी अधिकारी के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करना, (ii) ऐसे अधिकारी के वैध कर्तव्य के उल्लंघन में कोई कार्य करने या करने से छोड़ने के लिए ऐसे विदेशी अधिकारी को प्रेरित करना, या (iii) कोई अनुचित लाभ प्राप्त करना; या

(B) ऐसी सरकार या सहायक संस्था के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए विदेशी सरकार या उसकी सहायक संस्था के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए ऐसे विदेशी अधिकारी को प्रेरित करना,

कारोबार प्राप्त करने या बचाए रखने, या किसी व्यक्ति को कारोबार प्रापत (हस्तांतरित) करने या बनाये रखने में ऐसे घरेलू प्रतिष्ठान की सहायता करने के लिए;

(2) निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ कोई विदेशी राजनीतिक दल या उसका अधिकारी या विदेशी राजनीतिक पद के लिए कोई उम्मीदवार--

(A) (i) उसकी या उसकी आधिकारिक हैसियत से ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करना, (ii) ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार के वैध कर्तव्य के उल्लंघन में कोई कार्य करने या करने से छोड़ने के लिए ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार को प्रेरित करना, या (iii) कोई अनुचित लाभ प्राप्त करना; या

(B) ऐसी सरकार या सहायक संस्था के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए विदेशी सरकार या उसकी सहायक संस्था के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए ऐसा दल, पदाधिकारी, या उम्मीदवार को प्रेरित करना,

कारोबार प्राप्त करने या बचाए रखने, या किसी व्यक्ति को कारोबार प्रापत (हस्तांतरित) करने या बनाये रखने में ऐसे घरेलू प्रतिष्ठान की सहायता करने के लिए;

(b) नैमित्तिक सरकारी कार्य के लिए अपवाद

इस धारा की उपधाराएं (a) और (i) किसी विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, या दल पदाधिकारी को ऐसे भुगतान में कोई सुविधा प्रदान करने या गति तेज करने पर लागू नहीं होगी जिसका प्रयोजन किसी विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, या दल पदाधिकारी द्वारा नैमित्तिक सरकारी कार्य के निष्पादन की गति तेज करना या प्राप्त करना हो।

(c) स्वीकार सूचक बचाव

इस धारा की उपधारा (a) या (i) के अंतर्गत कार्यों का यह स्वीकार सूचक बचाव होगा कि--

(1) भुगतान, उपहार, प्रस्ताव, या किसी मूल्यवान वस्तु का वादा जिसे किया गया, विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, दल पदाधिकारी, या उम्मीदवार के देश के लिखित कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत विधिसम्मत था; या

(2) भुगतान, उपहार, प्रस्ताव, या किसी मूल्यवान वस्तु का वादा जिसे किया गया, किसी विदेशी अधिकारी, दल, दल पदाधिकारी, या उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से किया गया तर्कसंगत एवं वास्तविक व्यय था, जैसे यात्रा एवं आवास व्यय और सीधे निम्नलिखित से संबंधित था--

(A) उत्पादों या सेवाओं का संवर्धन, प्रदर्शन या स्पष्टीकरण; या

(B) किसी विदेशी सरकार या उसकी एजेंसी के साथ किसी संविदा का निष्पादन या कार्यान्वयन।

(d) व्यादेशी राहत

(1) जब अटर्नी जनरल को ऐसा लगता है कि कोई घरेलू प्रतिष्ठान जिस पर यह धारा लागू होती है, या उसका अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, एजेंट, या शेरधारक इस धारा की उपधारा (a) या (i) का उल्लंघन

करने वाले किसी कार्य या प्रथा में शामिल है, या शामिल होने वाला है, तो अटर्नी जनरल अपने विवेक से ऐसे कार्य या प्रथा पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राज्य के उपयुक्त जिला न्यायालय में दीवानी कार्रवाई ला सकता है, तथा समुचित रूप से प्रदर्शित करने पर, बांड के बिना स्थाई व्यादेश या अस्थाई निग्रह आदेश मंजूर किया जाएगा।

(2) किसी दीवानी जांच के प्रयोजन से, जो अटर्नी जनरल की राय में इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक एव समुचित है, अटर्नी जनरल या उनका निर्देशिती शपथ दिलाने एवं अभिपुष्टि लेने, गवाहों को सम्मन भेजने, साक्ष्य लेने तथा कोई बही, कागजात, या अन्य दस्तावेज़ जिसे अटर्नी जनरल ऐसी जांच के लिए संगत या आवश्यक समझता है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत है। गवाहों की उपस्थिति तथा दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति सुनवाई के किसी निर्दिष्ट स्थान पर संयुक्त राज्य में किसी स्थान, या किसी भूभाग, अधिभोग, या संयुक्त राज्य के राष्ट्रमंडल से अपेक्षित हो सकती है।

(3) गवाहों की उपस्थिति एवं गवाही तथा बही, कागजात, या अन्य दस्तावेज़ की प्रस्तुति की अपेक्षा में, किसी व्यक्ति को जारी सम्मन का किसी व्यक्ति द्वारा दुराग्रह, या पालन करने से इंकार करने के मामले में, अटर्नी जनरल संयुक्त राज्य के किसी न्यायालय की सहायता तलब कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी जांच या कार्यवाही की जाती है, या जहां ऐसा व्यक्ति रहता है या व्यवसाय करता है। ऐसा कोई न्यायालय आदेश जारी कर सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति से अटर्नी जनरल या उसके निर्देशिती के समक्ष अभिलेख, यदि इस प्रकार दर्ज हों, प्रस्तुत करने, या जांच के अधीन मामले से संबंधित गवाही देने के लिए वहां उपस्थित होने की अपेक्षा होती है। न्यायालय के ऐसे आदेश का पालन न करने के लिए ऐसे न्यायालय द्वारा उसकी अवमानना के रूप में दंडित किया जा सकता है।

ऐसे किसी मामले में सभी प्रक्रिया उस न्यायिक जिले में पूरी की जा सकती है जिसमें ऐसा व्यक्ति रहता है या पाया जा सकता है। अटर्नी जनरल दीवानी जांच के संबंध में ऐसे नियम बना सकता है जो इस उपधारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हो सकते हैं।

(e) अटर्नी जनरल द्वारा दिशानिर्देश

23 अगस्त 1988 के बाद अधिकतम 6 माह तक, प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग, वाणिज्य सचिव, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि, राज्य सचिव, तथा कोष सचिव से परामर्श करने के बाद, और सार्वजनिक नोटिस एवं टिप्पणी प्रक्रिया के माध्यम से सभी इच्छुक व्यक्तियों के विचार प्राप्त करने के बाद अटर्नी जनरल निर्धारित करेगा कि किस हद तक इस धारा के अनुपालन को बढ़ाया जाएगा तथा इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के और स्पष्टीकरण द्वारा कारोबारी समुदाय की सहायता की जाएगी तथा वह ऐसे निर्धारण के आधार पर तथा आवश्यक एवं उपयुक्त सीमा तक जारी कर सकता है--

(1) सामान्य प्रकार की निर्यात बिक्री व्यवस्थाओं एवं व्यावसायिक संविदाओं से संबंधित विशिष्ट प्रकार के आचार का वर्णन करने वाले दिशानिर्देश, जिसे न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति के प्रयोजन से अटर्नी जनरल निर्धारित करता है कि इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुरूप होगा; और

(2) सामान्य एहतियाती प्रक्रियाएं जिनका घरेलू प्रतिष्ठान स्वैच्छिक आधार पर इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के संबंध में न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति से अपने आचार की पुष्टि के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

अटर्नी जनरल शीर्षक 5 के अध्याय 5 के उप अध्याय II के प्रावधानों के अनुसरण में पिछले वाक्य में उल्लिखित दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाएं जारी करेगा तथा ये दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाएं उस शीर्षक के अध्याय 7 के प्रावधानों के अधीन होंगी।

(f) अटर्नी जनरल की राय

(1) संयुक्त राज्य के उपयुक्त विभागों एवं एजेंसियों से परामर्श करने के बाद तथा सार्वजनिक नोटिस एवं टिप्पणी प्रक्रिया के माध्यम से सभी इच्छुक व्यक्तियों के विचार प्राप्त करने के बाद अटर्नी जनरल इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के संबंध में न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति से अपने आचार के अनुपालन के संबंध में घरेलू प्रतिष्ठानों द्वारा विशिष्ट पूछताछ का जवाब देने के लिए प्रक्रिया स्थापित करेगा। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर अटर्नी जनरल उस अनुरोध के जवाब में राय जारी करेगा। राय में यह उल्लेख होगा कि न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति के प्रयोजन से कतिपय विनिर्दिष्ट संदर्शी आचार इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या नहीं। अन्य विनिर्दिष्ट संदर्शी आचार के संबंध में राय के लिए अटर्नी जनरल के पास अतिरिक्त अनुरोध दाखिल किए जा सकते हैं, जो पिछले अनुरोधों में विनिर्दिष्ट आचार के कार्य क्षेत्र से बाहर है। इस धारा के लागू प्रावधानों के अंतर्गत लाए गए किसी कार्य में, एक खंडनीय परिकल्पना यह होगी कि आचार, जो किसी घरेलू प्रतिष्ठान द्वारा अनुरोध में विनिर्दिष्ट है तथा जिसके लिए अटर्नी जनरल ने राय जारी की है कि ऐसा आचार न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति के अनुरूप है, इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुपालन में है। साक्ष्य की प्रबलता द्वारा इस प्रकार की परिकल्पना का खंडन किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के प्रयोजन से परिकल्पना पर विचार करते समय, न्यायालय सभी संगत कारकों पर ध्यान देगा, जिसमें यह शामिल है लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है कि क्या अटर्नी जनरल को प्रस्तुत सूचना सही एवं पूर्ण थी और क्या यह अटर्नी जनरल द्वारा प्राप्त किसी अनुरोध में विनिर्दिष्ट आचार के कार्यक्षेत्र के अंदर थी। अटर्नी जनरल शीर्षक 5 के अध्याय 5 के उप अध्यायों II के प्रावधानों के अनुसरण में इस अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया स्थापित करेगा तथा वह प्रक्रिया उस शीर्षक के अध्याय 7 के प्रावधानों के अधीन होगी।

(2) कोई दस्तावेज़ (और उनकी ऐसी प्रतियां) या अन्य सामग्री जिसे अनुच्छेद (1) के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किसी घरेलू प्रतिष्ठान द्वारा अनुरोध के सिलसिले में संयुक्त राज्य के न्याय विभाग या किसी अन्य विभाग या एजेंसी को प्रदान किया जाता है, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, या उसमें तैयार किया जाता है, को शीर्षक 5 की धारा 552 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त होगी तथा घरेलू प्रतिष्ठान की सहमति से छोड़कर, उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं किया जाएगा, भले ही अटर्नी जनरल ऐसे अनुरोध का जवाब देता है या जारीकर्ता जवाब प्राप्त होने से पहले ऐसा अनुरोध वापस ले लेता है।

(3) अनुच्छेद (1) के अंतर्गत अटर्नी जनरल से अनुरोध करने वाला कोई घरेलू प्रतिष्ठान ऐसे अनुरोध के जवाब में अटर्नी जनरल द्वारा राय जारी किए जाने से पूर्व ऐसे अनुरोध को वापस ले सकता है। इस प्रकार वापस लिए गए किसी अनुरोध का कोई प्रभाव या प्रवर्तन नहीं होगा।

(4) अधिकतम संभव व्यवहार्य सीमा तक अटर्नी जनरल संभावित निर्यातकों एवं छोटे व्यावसायिकों को, जो ऐसे प्रावधानों से संबंधित मुद्दों पर विशिष्ट परामर्श प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के संबंध में न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति के संबंध में समय पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ऐसा मार्गदर्शन इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों तथा इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अंतर्गत अनुपालन की जिम्मदारियों एवं संभावित बाध्यताओं के सामान्य स्पष्टीकरण के संबंध में न्याय विभाग की वर्तमान प्रवर्तन नीति से विनिर्दिष्ट संदर्शी आचार की अनुरूपता के संबंध में अनुच्छेद (1) के अधीन अनुरोधों के जवाब तक सीमित होगा।

(g) दंड

(1) (A) कोई घरेलू प्रतिष्ठान जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है तथा जो इस धारा की उपधारा (a) या (i) का उल्लंघन करता है, उस पर अधिकतम $2,000,000 का दंड किया जाएगा।

(B) कोई घरेलू प्रतिष्ठान जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है तथा जो इस धारा की उपधारा (a) या (i) का उल्लंघन करता है, वह अटर्नी जनरल द्वारा लाई गई किसी कार्रवाई में लगाए गए अधिकतम $10,000 के दीवानी दंड के अधीन होगा

(2) (A) कोई प्राकृतिक व्यक्ति जो किसी घरेलू प्रतिष्ठान का अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, या एजेंट है, या ऐसे घरेलू प्रतिष्ठान की ओर से काम करने वाला शेरधारक है, जो इस धारा की उपधारा (a) या (i) का जानबूझकर उल्लंघन करता है, तो उस पर अधिकतम $100,000 का दंड या 5 वर्ष का कारावास या दोनों लगाया जाएगा।

(B) कोई प्राकृतिक व्यक्ति जो किसी घरेलू प्रतिष्ठान का अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, या एजेंट है, या ऐसे घरेलू प्रतिष्ठान की ओर से काम करने वाला शेरधारक है, जो इस धारा की उपधारा (a) या (i) का उल्लंघन करता है, तो वह अटर्नी जनरल द्वारा लाई गई किसी कार्रवाई में लगाए गए अधिकतम $10,000 के दीवानी दंड के अधीन होगा।

(3) जब किसी घरेलू प्रतिष्ठान के किसी अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, एजेंट, या शेरधारक पर अनुच्छेद (2) के अंतर्गत दंड लगाया जाता है, तो ऐसे घरेलू प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे दंड का भुगतान नहीं किया जा सकता।

(h) परिभाषाएं

इस खंड के प्रयोजन से:

(1) “घरेलू प्रतिष्ठान” शब्द का अर्थ है--

(A) कोई व्यक्ति जो संयुक्त राज्य का नागरिक, राष्ट्रिक, या निवासी है; और

(B) कोई निगम, साझेदारी, संघ, संयुक्त स्टॉक कंपनी, व्यावसायिक न्यास, गैर निगमित संगठन, या एकल स्वामित्व जिसके व्यवसाय का प्रधान स्थान संयुक्त राज्य में है, या जो संयुक्त राज्य के किसी राज्य या किसी भूभाग, अधिकृत क्षेत्र, या राष्ट्रमंडल संयुक्त राज्य के कानूनों अंतर्गत संगठित है।

(2) (A) “विदेशी अधिकारी” शब्द का तात्पर्य किसी विदेशी सरकार या किसी विभाग, एजेंसी, या सहायक संस्था, या सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई अधिकारी, या कोई व्यक्ति है जो ऐसी किसी सरकार या विभाग, एजेंसी, या सहायक संस्था या ऐसी किसी सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए या उसकी ओर से आधिकारिक क्षमता में काम कर रहा है।

(B) उपअनुच्छेद (A) के प्रयोजन से, “सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन” शब्द का अर्थ है--

(i) ऐसा संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रतिरक्षण अधिनियम (22 U.S.C. § 288) की धारा 1 के अनुसरण में कार्यपालक आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया है; या

(ii) कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इस खंड के प्रयोजन से कार्यपालक आदेश के जरिए अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट है, संघीय रजिस्टर में ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख को प्रभावी हैं।

(3) (A) आचार, किसी परिस्थिति, या किसी परिणाम के संबंध में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा “ज्ञाता” है, यदि--

(i) ऐसे व्यक्ति को जानकारी है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे आचरण में लिप्त है, यह कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, या यह कि काफी हद तक ऐसे परिणाम का प्राप्त होना निश्चित है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को दृढ़ विश्वास है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं या यह कि ऐसे काफी हद तक परिणाम का प्राप्त होना निश्चित है।

(B) जब किसी अपराध के लिए विशिष्ट परिस्थिति के मौजूद होने के ज्ञान की जरूरत होती है, तो ऐसा ज्ञान स्थापित होता है यदि व्यक्ति ऐसी परिस्थिति की मौजूदगी की उच्च संभावना से अवगत हो, जब तक कि व्यक्ति वास्तव में यह विश्वास न करे कि ऐसी परिस्थिति मौजूद नहीं है।

(4) (A) “नैमित्तिक सरकारी कार्रवाई” का मतलब केवल एक कार्रवाई से है जो निम्नलिखित में विदेशी अधिकारी द्वारा साधारणतया एवं सामान्यतया निष्पादित की जाती हैं--

(i) विदेशी राष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति के अर्ह होने के लिए परमिट, लाइसेंस या अन्य सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त करना;

(ii) सरकारी कागजातों जैसे वीज़ा एवं कार्यादेश की कार्रवाई;

(iii) पुलिस संरक्षण, डाक प्रेषण एवं प्रदान करना, या संविदा के निष्पादन से संबद्ध निरीक्षण या देश के बाहर माल के संक्रमण से संबद्ध निरीक्षण की समय-सूची निर्धारित करना;

(iv) फोन सेवा, बिजली एवं पानी की आपूर्ति प्रदान करना, माल चढ़ाना एवं उतारना या नाशवान उत्पादों या पणों को विकृत होने से बचाना; अथवा

(v) समान प्रकृति के कार्य करना।

(B) “नैमित्तिक सरकारी कार्य” शब्द में किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी दल विशेष को नया कारोबार देने या उसके साथ कारोबार जारी रखने संबंधी कोई निर्णय शामिल नहीं है या किसी दल को नया कारोबार देने या उसके साथ कारोबार जारी रखने का निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किसी सरकारी अधिकारी द्वारा निर्णय को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया में की गयी कोई कार्रवाई शामिल नहीं है।

(5) “अंतर्राज्यीय वाणिज्य” शब्द का अभिप्राय अनेक राज्यों में, या किसी विदेशी राष्ट्र और किसी राज्य के बीच या किसी राज्य एवं उसके बाहर किसी स्थान या पोत के बीच व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, या संचार से है, तथा ऐसे शब्द में निम्नलिखित का अंतर्राज्यीय प्रयोग शामिल होता है--

(A) टेलीफोन या संचार का अन्य अंतर्राज्यीय साधन, या

(B) कोई अन्य अंतर्राज्यीय लिखत।

(i) वैकल्पिक क्षेत्राधिकार

(1) उपधारा (a) के अनुच्छेद (1), (2), एवं (3) में प्रतिपादित किसी भी व्यक्ति या संस्था को उसमें प्रतिपादित प्रयोजनों के लिए किसी प्रस्ताव, भुगतान, भुगतान करने के वादे, या किसी धन के भुगतान, प्रस्ताव, उपहार, देने के वादे के प्राधिकार, या कोई मूल्यवान वस्तु देने के प्राधिकार को आगे बढ़ाने में संयुक्त राज्य के बाहर भ्रष्ट ढंग से कोई कार्य करना भी संयुक्त राज्य के किसी व्यक्ति के लिए गैर कानूनी होगा, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि संयुक्त राज्य का ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रस्ताव, उपहार, भुगतान, वादे, या प्राधिकार को आगे बढ़ाने में डाक का, या अंतर्राज्यीय वाणिज्य के किसी साधन या एजेंसी का प्रयोग करता है।

(2) जैसा कि इस उपधारा में प्रयोग किया गया है, "संयुक्त राज्य का व्यक्ति" का अर्थ संयुक्त राज्य का कोई नागरिक (जैसा कि आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम (8 U.S.C. § 1101) में परिभाषित है) या संयुक्त राज्य, या किसी राज्य, भूभाग, कब्जे, या संयुक्त राज्य के राष्ट्रमण्डल अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग के कानून के अंतर्गत संगठित कोई कारपोरेशन, साझेदारी, संघ, संयुक्त स्टॉक कंपनी, कारोबारी न्यास, गैर-निगमित संगठन, या एकमात्र स्वामी है।

§ 78dd-3. जारीकर्ताओं या घरेलू प्रतिष्ठानों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा निषिद्ध विदेशी व्यापार प्रथाएं

a) निषेध

जारीकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति के लिए, जो 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 30A के अधीन है या इस अधिनियम की धारा 104 में यथापरिभाषित किसी घरेलू प्रतिष्ठान के लिए, या ऐसे व्यक्ति के किसी अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी या एजेंट अथवा ऐसे व्यक्ति की ओर से काम करने वाले उसके किसी शेरधारक के लिए, संयुक्त राज्य के भूभाग में रहते हुए, निम्नलिखित को किसी प्रस्ताव, भुगतान, भुगतान करने के वादे या किसी धन, या प्रस्ताव, उपहार, देने के वादे के प्राधिकार, या कोई मूल्यवान वस्तु देने के प्राधिकार को आगे बढ़ाने में भ्रष्ट ढंग से डाक या अंतर्राज्यीय वाणिज्य के किसी साधन या एजेंसी का प्रयोग करना या कोई अन्य कार्य करना गैर कानूनी होगा--

(1) निम्नलिखित प्रयोजन से कोई भी विदेशी सरकारी पदाधिकारी--

(A) (i) उसके आधिकारिक हैसियत से ऐसे विदेशी अधिकारी के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करना, (ii) ऐसे अधिकारी के विधिसम्मत कर्तव्य के उल्लंघन में कोई कार्य करने या करने से छोड़ने के लिए ऐसे विदेशी अधिकारी को प्रेरित करना, या (iii) कोई अनुचित लाभ प्राप्त करना; या

(C) ऐसी सरकार या सहायक संस्था के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए विदेशी सरकार या उसकी सहायक संस्था के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए ऐसे विदेशी अधिकारी को प्रेरित करना, कारोबार प्राप्त करने या बचाए रखने,

या किसी व्यक्ति को कारोबार हस्तांतरित करने में ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के लिए;

(2) निम्नलिखित के प्रयोजन से कोई विदेशी राजनीतिक दल या उसका अधिकारी या विदेशी राजनीतिक पद के लिए कोई उम्मीदवार--

(A) (i) उसकी या उसकी आधिकारिक हैसियत से ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करना, (ii) ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार के वैध कर्तव्य के उल्लंघन में कोई कार्य करने या करने से छोड़ने के लिए ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार को प्रेरित करना, या (iii) कोई अनुचित लाभ प्राप्त करना; या

(B) ऐसी सरकार या सहायक संस्था के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए विदेशी सरकार या उसकी सहायक संस्था के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए ऐसा दल, पदाधिकारी, या उम्मीदवार को प्रेरित करना।

कारोबार प्राप्त करने या बचाए रखने, या किसी व्यक्ति को कारोबार हस्तांतरित करने में ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के लिए; या

(3) कोई व्यक्ति, यह जानते हुए कि किसी विदेशी अधिकारी को, किसी विदेशी राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी को, या विदेशी राजनीतिक पद के किसी उम्मीदवार को निम्नलिखित के प्रयोजन से प्रत्यक्ष या

परोक्ष रूप से ऐसे सभी धन या मूल्यवान वस्तु या उसके भाग की पेशकश की जाएगी, दिया जाएगा, या वादा किया जाएगा--

(A) (i) उसकी या उसकी आधिकारिक हैसियत से ऐसा दल, अधिकारी, या उम्मीदवार के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करना, (ii) ऐसे विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, दल के पदाधिकारी या उम्मीदवार के वैध कर्तव्य के उल्लंघन में कोई कार्य करने, या करना छोड़ने के लिए विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, दल के पदाधिकारी, या उम्मीदवार को प्रभावित करना, या (iii) कोई अनुचित लाभ प्राप्त करना; या

(B) ऐसी सरकार या सहायक संस्था के किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए विदेशी सरकार या उसकी सहायक संस्था के साथ अपने या उसके प्रभाव का प्रयोग करने के लिए ऐसे विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, दल पदाधिकारी, या उम्मीदवार को प्रेरित करना, कारोबार प्राप्त करने या बचाए रखने, या किसी व्यक्ति को कारोबार हस्तांतरित करने में ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के लिए।

(b) नैमित्तिक सरकारी कार्य के लिए अपवाद

इस धारा की उपधारा (a) किसी विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, या दल पदाधिकारी को ऐसे भुगतान में कोई सुविधा प्रदान करने या गति तेज करने पर लागू नहीं होगी जिसका प्रयोजन किसी विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, या दल पदाधिकारी द्वारा नैमित्तिक सरकारी कार्य के निष्पादन की गति तेज करना या प्राप्त करना हो।

(c) स्वीकार सूचक बचाव

यह इस धारा की उपधारा (a) के अंतर्गत कार्रवाइयों का स्वीकार सूचक बचाव होगा यदि--

(1) भुगतान, उपहार, प्रस्ताव, या किसी मूल्यवान वस्तु का वादा जिसे किया गया, विदेशी अधिकारी, राजनीतिक दल, दल पदाधिकारी, या उम्मीदवार के देश के लिखित कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत वैध था; या

(2) भुगतान, उपहार, प्रस्ताव, या किसी मूल्यवान वस्तु का वादा जिसे किया गया, किसी विदेशी अधिकारी, दल, दल पदाधिकारी, या उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से किया गया तर्कसंगत एवं वास्तविक व्यय था, जैसे यात्रा एवं आवास व्यय और सीधे निम्नलिखित से संबंधित था--

(A) उत्पादों या सेवाओं का संवर्धन, प्रदर्शन या स्पष्टीकरण; या

(B) किसी विदेशी सरकार या उसकी एजेंसी के साथ किसी संविदा का निष्पादन या कार्यान्वियन।

(d) व्यादेशी राहत

(1) जब अटर्नी जनरल को ऐसा लगता है कि कोई घरेलू व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती है, या उसका अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, एजेंट, या शेरधारक इस धारा की उपधारा (a) का उल्लंघन करने वाले किसी कार्य या प्रथा में शामिल है, या शामिल होने वाला है, तो अटर्नी जनरल अपने विवेक से ऐसे कार्य या प्रथा पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राज्य के उपयुक्त जिला न्यायालय में दीवानी कार्रवाई ला सकता है, तथा समुचित रूप से प्रदर्शित करने पर, बांड के बिना स्थाई व्यादेश या अस्थाई निग्रह आदेश मंजूर किया जाएगा।

(2) किसी दीवानी जांच के प्रयोजन से, जो अटर्नी जनरल की राय में इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक एवं समुचित है, अटर्नी जनरल या उनका निर्देशिती शपथ दिलाने एवं अभिपुष्टि लेने, गवाहों को सम्मन भेजने, साक्ष्य लेने तथा कोई बही, कागजात, या अन्य दस्तावेज़ जिसे अटर्नी जनरल ऐसी जांच के लिए संगत या आवश्यक समझता है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत है। गवाहों की उपस्थिति तथा

दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति सुनवाई के किसी निर्दिष्ट स्थान पर संयुक्त राज्य में किसी स्थान, या किसी भूभाग, अधिभोग, या संयुक्त राज्य के राष्ट्रमंडल से अपेक्षित हो सकती है।

(3) गवाहों की उपस्थिति एवं गवाही तथा बही, कागजात, या अन्य दस्तावेज़ की प्रस्तुति की अपेक्षा में, किसी व्यक्ति को जारी सम्मन का किसी व्यक्ति द्वारा दुराग्रह, या पालन करने से इंकार करने के मामले में, अटर्नी जनरल संयुक्त राज्य के किसी न्यायालय की सहायता तलब कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी जांच या कार्यवाही की जाती है, या जहां ऐसा व्यक्ति रहता है या व्यवसाय करता है। ऐसा कोई न्यायालय आदेश जारी कर सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति से अटर्नी जनरल या उसके निर्देशिती के समक्ष अभिलेख, यदि इस प्रकार दर्ज हों, प्रस्तुत करने, या जांच के अधीन मामले से संबंधित गवाही देने के लिए वहां उपस्थित होने की अपेक्षा होती है। न्यायालय के ऐसे आदेश का पालन न करने के लिए ऐसे न्यायालय द्वारा उसकी अवमानना के रूप में दंडित किया जा सकता है।

(4) ऐसे किसी मामले में सभी प्रक्रिया उस न्यायिक जिले में पूरी की जा सकती है जिसमें ऐसा व्यक्ति रहता है या पाया जा सकता है। अटर्नी जनरल दीवानी जांच के संबंध में ऐसे नियम बना सकता है जो इस उपधारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हो सकते हैं।

(e) दंड

(1) (A) इस धारा की उपधारा (a) का उल्लंघन करने वाले किसी न्यायिक व्यक्ति पर अधिकतम $2,000,000 का दंड किया जाएगा।

(B) कोई न्यायिक व्यक्ति जो इस धारा की उपधारा (a) का उल्लंघन करता है, तो वह अटर्नी जनरल द्वारा लाई गई किसी कार्रवाई में लगाए गए अधिकतम $10,000 के दीवानी दंड के अधीन होगा।

(2) (A) कोई प्राकृतिक व्यक्ति जो इस धारा की उपधारा (a) का जानबूझकर उल्लंघन करता है, तो उस पर अधिकतम $100,000 का दंड या 5 वर्ष का कारावास, या दोनों लगाया जाएगा।

(B) कोई प्राकृतिक व्यक्ति जो इस धारा की उपधारा (a) का उल्लंघन करता है, तो वह अटर्नी जनरल द्वारा लाई गई किसी कार्रवाई में लगाए गए अधिकतम $10,000 के दीवानी दंड के अधीन होगा।

(3) जब किसी व्यक्ति के किसी अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, एजेंट, या शेरधारक पर अनुच्छेद (2) के अंतर्गत दंड लगाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे दंड का भुगतान नहीं किया जा सकता।

(f) परिभाषाएं

इस खंड के प्रयोजन से:

(1) अपराधी के रूप में उल्लेख होने पर "व्यक्ति" शब्द का अभिप्राय संयुक्त राज्य के किसी राष्ट्रिक (उत्प्रवास एवं राष्ट्रीयता अधिनियम (8 U.S.C. § 1101 में यथा परिभाषित) से भिन्न किसी प्राकृतिक व्यक्ति या विदेशी राष्ट्र या उसके राजनीतिक उपमंडल के कानूनों के अंतर्गत संगठित किसी निगम, साझेदारी, संघ, संयुक्त स्टॉक कंपनी, व्यावसायिक न्यास, गैर निगमित संगठन, या एकल स्वामित्व से है।

(2) (A) “विदेशी अधिकारी” शब्द का तात्पर्य किसी विदेशी सरकार या किसी विभाग, एजेंसी, या सहायक संस्था, या सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई अधिकारी, या कोई व्यक्ति है जो ऐसी किसी सरकार या विभाग, एजेंसी, या सहायक संस्था या ऐसी किसी सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए या उसकी ओर से आधिकारिक क्षमता में काम कर रहा है।

उपअनुच्छेद (A) के प्रयोजन से, “सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन” शब्द का अर्थ है—

(i) ऐसा संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रतिरक्षण अधिनियम (22 U.S.C. § 288) की धारा 1 के अनुसरण में कार्यपालक आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया है; या

(ii) कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इस खंड के प्रयोजन से कार्यपालक आदेश के जरिए अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट है, संघीय रजिस्टर में ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख को प्रभावी हैं।

(3) (A) आचार, किसी परिस्थिति, या किसी परिणाम के संबंध में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा “ज्ञाता” है, यदि --

(i) ऐसे व्यक्ति को जानकारी है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे आचरण में लिप्त है, यह कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, या यह कि काफी हद तक ऐसे परिणाम का प्राप्त होना निश्चित है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को दृढ़ विश्वास है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं या यह कि ऐसे काफी हद तक परिणाम का प्राप्त होना निश्चित है।

(B) जब किसी अपराध के लिए विशिष्ट परिस्थिति के मौजूद होने के ज्ञान की जरूरत होती है, तो ऐसा ज्ञान स्थापित होता है यदि व्यक्ति ऐसी परिस्थिति की मौजूदगी की उच्च संभावना से अवगत हो, जब तक कि व्यक्ति वास्तव में यह विश्वास न करे कि ऐसी परिस्थिति मौजूद नहीं है।

(4) (A) “नैमित्तिक सरकारी कार्रवाई” का मतलब केवल एक कार्रवाई से है जो निम्नलिखित में विदेशी अधिकारी द्वारा साधारणतया एवं सामान्यतया निष्पादित की जाती हैं--

(i) विदेशी राष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति के अर्ह होने के लिए परमिट, लाइसेंस या अन्य सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त करना;

(ii) सरकारी कागजातों जैसे वीज़ा एवं कार्यादेश की कार्रवाई;

(iii) पुलिस संरक्षण, डाक प्रेषण एवं प्रदान करना, या संविदा के निष्पादन से संबद्ध निरीक्षण या देश के बाहर माल के संक्रमण से संबद्ध निरीक्षण की समय-सूची निर्धारित करना;

(iv) फोन सेवा, बिजली एवं पानी की आपूर्ति प्रदान करना, माल चढ़ाना एवं उतारना या नाशवान उत्पादों या पणों को विकृत होने से बचाना; अथवा

(v) समान प्रकृति के कार्य करना।

(B) “नैमित्तिक सरकारी कार्य” शब्द में किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी दल विशेष को नया कारोबार देने या उसके साथ कारोबार जारी रखने संबंधी कोई निर्णय शामिल नहीं है या किसी दल को नया कारोबार देने या उसके साथ कारोबार जारी रखने का निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किसी सरकारी अधिकारी द्वारा निर्णय को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया में की गयी कोई कार्रवाई शामिल नहीं है।

(5) “अंतर्राज्यीय वाणिज्य” शब्द का अभिप्राय अनेक राज्यों में, या किसी विदेशी राष्ट्र और किसी राज्य के बीच या किसी राज्य एवं उसके बाहर किसी स्थान या पोत के बीच व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, या संचार से है, तथा ऐसे शब्द में निम्नलिखित का अंतर्राज्यीय प्रयोग शामिल होता है —

(A) टेलीफोन या संचार का अन्य अंतर्राज्यीय साधन, या

(B) कोई अन्य अंतर्राज्यीय सहायक संस्था।

§ 78ff. दंड

(a) जानबूझकर उल्लंघन; झूठे एवं भ्रामक विवरण

कोई व्यक्ति जो जानबूझकर इस अध्याय के किसी प्रावधान (इस शीर्षक की धारा 78dd-1 से भिन्न), या उसके अंतर्गत किसी ऐसे नियम या विनियम का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन को गैर कानूनी बनाया गया है या जिसका अनुपालन इस अध्याय की शर्तों के अधीन अपेक्षित है, या कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से एवं जानबूझकर सदस्यता या उसमें भागीदारी के लिए या उसके किसी सदस्य से संबद्ध होने के लिए आवेदन के सिलसिले में इस अध्याय या इसके अंतर्गत किसी नियम या विनियम के अंतर्गत दाखिल करने के लिए अपेक्षित किसी आवेदन, रिपोर्ट, या दस्तावेज़ अथवा इस शीर्षक की धारा 78o की उपधारा (d) में यथाउपलब्ध, या किसी स्वत: विनियामक संगठन द्वारा पंजीकरण विवरण में निहित किसी वचनपत्र में कोई ऐसा विवरण देता है, या दिलवाता है जो किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में झूठा या भ्रामक था, तो दोष सिद्ध होने पर उस पर अधिकतम $5,000,000 का दंड, या अधिकतम 20 साल का कारावास, या दोनों हो सकता है, सिवाय इसके कि जब ऐसा व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति हो, तो अधिकतम $25,000,000 का दंड लगाया जा सकता है; किंतु कोई भी व्यक्ति किसी नियम या विनियम के उल्लंघन के लिए इस धारा के अंतर्गत कारावास के अधीन नहीं होगा, यदि वह साबित करता है कि उसे ऐसे नियम या विनियम का कोई ज्ञान नहीं था।

(b) सूचना, दस्तावेज़, या रिपोर्ट दाखिल करने में असफलता

कोई जारीकर्ता जो इस शीर्षक की धारा 780 की उपधारा (d) या उसके अंतर्गत किसी नियम या विनिमय के अंतर्गत दाखिल करने के लिए अपेक्षित सूचनाएं, दस्तावेज़, या रिपोर्टें दाखिल करने में असफल रहता है, तो वह दाखिल करने में असफलता जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए संयुक्त राज्य को $100 का दंड देगा। ऐसा दंड, जो दाखिल करने की ऐसी असफलता के लिए किसी आपराधिक दंड के बदले में होगा जिसे इस धारा की उपधारा (a) के अंतर्गत उत्पन्न समझा जा सकता है, संयुक्त राज्य के खजाने में संदेय होगा तथा संयुक्त राज्य के नाम में दीवानी वाद में वसूली योग्य होगी।

(c) जारीकर्ताओं, जारीकर्ताओं के अधिकारियों, निदेशकों, शेरधारकों, कर्मचारियों, या एजेंटों द्वारा उल्लंघन

(1) (A) इस शीर्षक [15 U.S.C. § 78dd- 1] की धारा 30A की उपधारा (a) या (g) का उल्लंघन करने वाले किसी जारीकर्ता पर अधिकतम $2,000,000 का दंड किया जाएगा।

(B) इस शीर्षक [15 U.S.C. § 78dd- 1] की धारा 30A की उपधारा (a) या (g) का उल्लंघन करने वाला कोई जारीकर्ता आयोग द्वारा लाई गई किसी कार्रवाई में लगाए गए अधिकतम $10,000 के दीवानी दंड के अधीन होगा।

(2) (A) जारीकर्ता का कोई अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, या एजेंट, या ऐसे जारीकर्ता की ओर से काम करने वाला कोई शेरधारक, जो जानबूझकर इस शीर्षक [15 U.S.C. § 78dd-1] की धारा 30A के उपधारा (a) या (g) का उल्लंघन करता है, उस पर अधिकतम $100,000 का दंड, या अधिकतम 5 वर्ष का कारावास, या दोनों लगाया जाएगा।

(B) जारीकर्ता का कोई अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, या एजेंट, या ऐसे जारीकर्ता की ओर से काम करने वाला कोई शेरधारक, जो इस शीर्षक [15 U.S.C. § 78dd-1] की धारा 30A के उपधारा (a) या (g) का उल्लंघन करता है, वह आयोग द्वारा लाई गई किसी कार्रवाई में लगाए गए अधिकतम $10,000 के दीवानी दंड के अधीन होगा।

(3) जब किसी जारीकर्ता के किसी अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, एजेंट, या शेरधारक पर अनुच्छेद (2) के अंतर्गत दंड लगाया जाता है, तो ऐसे जारीकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे दंड का भुगतान नहीं किया जा सकता।